कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को भी गणना में लेने पर 2013–14 से तुलना करने पर 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.1.1)

राज्य सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा एवं बजट अनुमान 2017–18 में निर्धारित राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटे एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्यों को प्राप्त किया। तथापि, वास्तविक लेखापरीक्षा द्वारा संगणित राजस्व अधिशेष बजट अनुमान के निर्धारित लक्ष्य से कम था जबकि राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

(कंडिका 1.1.2)

संसाधन संग्रहण

2016–17 की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 11,568 करोड़ (नौ प्रतिशत) से बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 4,241 करोड़ से कम थी।

2016–17 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 10,709 करोड़ (नौ प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 4,273 करोड़ से कम था।

2016–17 की तुलना में पूंजीगत व्यय ₹ 3,625 करोड़ (13 प्रतिशत) से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से ₹ 499 करोड़ से कम था।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बजट तैयारी कार्रवाई को औचित्यपूर्ण बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों के मध्य लगातार अंतर को कम किया जा सके।*

(कंडिकाएं 1.1.1 एवं 1.1.3)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

260 लेखापरीक्षित विद्यालयों में से 20 विद्यालयों में एन.पी.एस. का कटौत्रा नहीं करना परिलक्षित हुआ। इसी प्रकार, 63 लेखापरीक्षित वन कार्यालयों में से चार वन कार्यालयों में महंगाई भत्ते के बकाया से एन.पी.एस. का कटौत्रा नही होना परिलक्षित हुआ।

कुल अंशदान ₹ 3,321.38 करोड़ (2010–11 से 2017–18 की अवधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान एवं शासन का अंशदान) के विरुद्ध केवल ₹ 3,203.56 करोड़ अंतरित किया गया एवं शेष राशि ₹ 117.82 करोड़ एन.एस.डी.एल. को अन्तरित नहीं की गयी। 2017–18 के दौरान शासन ने कुल अंशदान ₹ 821.45 करोड़ में से एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹ 801.63 करोड़ ही अंतरित किए। इसके परिणामस्वरूप 2017–18 के लिए ₹ 19.82 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

अनुशंसाः– *राज्य शासन को अंशदान का कटौत्रा न किए जाने के कारणों की जांच किया जाना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रक्रिया विकसित की जाए कि कर्मचारियों के अंशदान की पूर्णरूप से कटौती की जाती है, शासन पूर्णरूप से समरूप अंशदान करता है और सम्पूर्ण राशि समय से एन.एस.डी.एल को अंतरित की जाती है। एन.एस.डी.एल. को अंतरण में विलंब होने के मामले में कम से कम सामान्य भविष्य निधि दर का ब्याज अंशदाता के खाते में जमा किया जाए। एन.पी.एस. अंशदान की कटौती न करना या इसका अंतरण (राज्य शासन के अंशदान के साथ) न किया जाना न केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है, यह योजना को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।*

(कंडिकाएं 1.3.5.1 एवं 1.3.5.2)

सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2017–18 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर उच्च था।

(कंडिका 1.3.6.1)

आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देन

अवधि 2015–18 के दौरान ₹ 5.04 करोड़ शेष की तीन आरक्षित निधियाँ संचालित नहीं की गईं थीं। तीन अन्य आरक्षित निधियों में 31 मार्च 2018 की स्थिति में राशि ₹ 7.69 करोड़ का निवेश था, किन्तु इनमें से किसी भी निधि में, कम से कम विगत तीन वर्षों में कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

समेकित निधि के अंतर्गत उपयुक्त राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत आरक्षित निधियों में अंतरण एवं तत्पश्चात उनमें से संवितरण नामे या जमा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। ये केवल वास्तविक रोकड़ अंतरण को प्रदर्शित करते हैं यदि यह रिजर्व बैंक जमा को प्रत्यक्ष तौर पर या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। यद्यपि मध्य प्रदेश शासन की आरक्षित निधियों में कोई वास्तविक रोकड़ लेन–देन नहीं था, अतः लेखों में प्रदर्शित शेष मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ थे। यह आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों एवं शेषों को मात्र पुस्तक प्रविष्टियाँ मानने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेषों के वास्तविक निवेश द्वारा आरक्षित निधियों के निर्माण एवं संचालन के आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2)

निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है। तथापि, अन्य राज्यों के विपरीत मध्य प्रदेश शासन ने ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। निक्षेप निधि का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 2017–18 में ₹ 779 करोड़ का अंशदान नहीं किया (31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹ 1,55,800.12 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इससे 2017–18 का ₹ 779 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा स्वीकार कर समेकित निक्षेप निधि का गठन करे।*

(कंडिका 1.5.2.1)

प्रत्याभूति शुल्क

2017–18 के दौरान, प्राप्य राशि ₹ 76.19 करोड़ में से ₹ 25.96 करोड़ (34.07 प्रतिशत) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूल किए गए थे। तथापि, दो संस्थानों ने प्रत्याभूति शुल्क का आवश्यकता से अधिक भुगतान किया। शेष नौ संस्थानों, जिन पर ₹ 4,178.10 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी, ने निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि (i) प्रत्याभूतियों का लाभ लेने वाले सभी संस्थान प्रत्याभूति शुल्क का पूर्ण भुगतान करें एवं उस समय तक ऐसे संस्थानों को आगे कोई प्रत्याभूति न दी जाए तथा (ii) मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी एवं राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण के*

प्रत्याभूति शुल्क विवरणों की समीक्षा एवं मिलान करें, जिन्होंने वित्त लेखों के अनुसार आवश्यकता से अधिक प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया है।

(कंडिका 1.5.2.2)

प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में वसूल की गई प्रत्याभूति शुल्क एवं राज्य शासन द्वारा समरूप अंशदान जमा किया जाना अपेक्षित है। पूर्व वर्ष की स्थिति में, ₹ 74.24 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में हुआ एवं राज्य शासन द्वारा ₹ 74.24 करोड़ का समरूप अंशदान किया जाना था। इस प्रकार 2017–18 में राज्य शासन द्वारा 148.48 करोड़ का अंशदान प्रत्याभूति विमोचन निधि में किया जाना था, लेकिन राज्य शासन द्वारा कोई भी अंशदान निधि में नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 148.48 करोड़ का कम अंशदान हुआ। ₹ 14,002.99 करोड़ की बकाया प्रतिभूतियों के सापेक्ष निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 408.79 करोड़ का शेष था जो कि केंद्र सरकार की दिनांकित सिक्योरिटी में निवेशित की गई।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को योजना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में अंशदान करना चाहिए।*

(कंडिका 1.5.2.2)

बचतें

नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभागीय व्यय के अनुवीक्षण में वित्त विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 2017–18 के दौरान राशि ₹ 34,337.14 करोड़ की बचतें अप्रयुक्त रहीं।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को विभागीय नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की प्रवृत्तियों का अनुवीक्षण करना चाहिए ताकि निधियों का अनावश्यक रूप से अवरोधन न हो तथा समर्पण हेतु अंतिम क्षण की प्रतीक्षा किए बिना एवं आवंटनों के व्यपगत हुए बिना तुरंत समर्पण किया जाए।*

(कंडिका 2.1)

आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

राज्य सरकार ने 2003–17 की अवधि से सम्बंधित 16 अनुदानों एवं 15 विनियोगों के आधिक्य व्यय राशि ₹ 660.67 करोड़ का नियमन नहीं किया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष वर्षों के आधिक्य व्यय राज्य विधानसभा द्वारा शीघ्रतिशीघ्र नियमित किए जायें एवं बजट से अधिक व्यय करने वाले नियंत्रण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाये।*

(कंडिका 2.2.1)

महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण आदेश

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने राशि ₹ 5,571.93 करोड़ की 74 समर्पण स्वीकृतियों को स्वीकार करने से मना कर दिया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के स्वीकृति आदेश सामयिक, पूर्ण एवं दिशानिर्देशों के अनुसार वैध हों।*

(कंडिका 2.2.9.1)

व्यय की अत्यधिकता

मार्च 2018 के दौरान 10 अनुदानों/विनियोगों के 13 प्रकरणों में राशि ₹ 2,948.76 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को व्यय के स्वरूप की समीक्षा करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अत्यधिकता से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।*

(कंडिका 2.2.11)

व्यक्तिगत जमा खाते

31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश शासन के 847 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 5,370.06 करोड़ का अंतिम शेष था। आगे, सात कोषालयों में 43 व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते ₹ 10.79 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित रहे।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन व्यक्तिगत जमा खातों में अनावश्यक पड़ी सभी राशियों को समेकित निधि में तत्काल प्रेषित किया जाता है तथा वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।*

(कंडिकाएं 3.2 एवं 3.2.1)

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

31 मार्च 2018 को मण्डल के पास राशि ₹ 1,212.79 करोड़ उपलब्ध थी, जिसमें से ₹ 1,063.78 करोड़ बैक खातों में रखे गए थे। ₹ 149.01 करोड़ का अन्तर मिलान के लिए लंबित था। तथापि, बैंक खातों में जमा राशि से उपार्जित ब्याज ₹ 326.94 करोड़ रोकड़ पुस्तिका में नहीं दर्शाया जा रहा था।

मण्डल के पास स्थायी परिसम्पत्ति पंजी नहीं है, इसके अभाव में निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

अनुशंसाः *राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल लेखों को अधिनियम के अनुसार अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियाँ सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे तथा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायें जैसा कि अधिनियम में वर्णित है।*

(कंडिका 3.3.1)

शासकीय लेखों में अपारदर्शिता

मध्य प्रदेश शासन के विभाग लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन करते हैं जिसे केवल यदा–कदा मामलों में ही परिचालित किया जाना है। 2017–18 के दौरान प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 35,479.51 करोड़ एवं व्यय के अंतर्गत ₹ 24,717.79 करोड़ लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप लेन–देनों में अपारदर्शिता रही।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्रदर्शित सभी मदों की समग्र समीक्षा करनी चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियाँ एवं व्यय उपयुक्त लेखा शीर्ष में पुस्तांकित किए जाते हैं।*

(कंडिका 3.4)

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्रस्तुति

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी राशि ₹ 17,793.21 करोड़ के सहायता अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2018 को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (20,666) बकाया थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमीं को दर्शाता है।

अनुशंसाः *राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति रोकने सम्बन्धी मामलों की पहचान करनी चाहिए तथा संगठनों, जिनको अनुदान जारी किए गए थे, द्वारा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए सरकार के विभागों के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सशक्त बनाना चाहिए।*

(कंडिका 3.6)

पंचायती राज संस्थानों के विभिन्न योजनाओं की निधि को रखा जाना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं के ₹ 2.37 करोड़ बैंक खातों में जमा किए। आगे, योजनाओं के बंद/अंसचालित होने के बावजूद यह राशि शासकीय खातों में जमा/समर्पित नहीं की गयी थी।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को राज्य शासन के विभागों द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की समीक्षा करनी चाहिए एवं वित्त विभाग द्वारा प्राधिकृत नहीं किए गए सभी खातों को बंद करना चाहिए। शासन से अनुमति प्राप्त किये बिना बैंक खातों में धन जमा करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने एवं उन पर उचित विभागीय व अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।*

(कंडिका 3.12.2)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के लेखों को अंतिम रूप दिया जाना

सार्वजनिक क्षेत्र के 30 कार्यशील उपक्रमों/निगमों (62 लेखे) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के चार अकार्यशील उपक्रमों/निगमों (70 लेखे) के लेखे एक से 28 वर्षों तक बकाया हैं। इसके बावजूद, वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों को बकाया लेखों की अवधि के दौरान ₹ 8,315.39 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को बकाया लेखे वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए, लेखे यथोचित अवधि में अद्यतन कर लिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जहाँ लेखे लगातार बकाया हैं वहाँ सभी प्रकरणों में वित्तीय सहायता रोक देनी चाहिए।*

(कंडिका 3.17)

लाभांश घोषित न किया जाना

राज्य सरकार की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के पश्चात् लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। उनके अंतिम रूप से लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 22 उपक्रमों ने कुल लाभ ₹ 998.37 करोड़ अर्जित किया, यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल छः उपक्रमों ने ₹ 45.63 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उपक्रमों ने लाभ अर्जित करने के बावजूद ₹ 139.56 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम सरकार को निर्धारित लाभांश का भुगतान करें।*

(कंडिका 3.18)